

समाहरणालय पलामू

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या :- 283/भू0अ0,

पलामू, दिनांक :- 29/07/19

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सरैया, थाना सं0-421 थाना-पांकी, अंचल-पांकी, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना सरैया मझिआँव झलखण्डी पथ के बीच अमानत नदी पर पुल निर्माण हेतु अपेक्षित है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सरैया, थाना सं0-421 थाना-पांकी, अंचल-पांकी, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.235 एकड़ यानि 0.0951 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

ग्राम-सरैया, थाना सं0- 421, कुल रकबा- 0.235 एकड़

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	2	बकास्त लगान पाने वाला	टाड़-3	0.110	गनौरी महतो माता देववासी देवी	ग्राम का सिवान निज ग्राम	प्लॉट नं० 3	नाला प्लॉट नं० 05 प्लॉट नं० 2	प्लॉट नं० 2
2	10	2	बकास्त लगान पाने वाला	टाड़-3	0.075	राज कुमारी देवी पति अलख सिंह	ग्राम का सिवान निज ग्राम	प्लॉट नं० 3	नाला प्लॉट नं० 05 प्लॉट नं० 2	प्लॉट नं० 2
3	10	2	बकास्त लगान पाने वाला	टाड़-3	0.050	नगीना सिंह, महाबीर सिंह, हिरानन्द सिंह तारा सिंह, राम औतार सिंह पिता रामधनी सिंह	ग्राम का सिवान निज ग्राम	प्लॉट नं० 3	नाला प्लॉट नं० 05 प्लॉट नं० 2	प्लॉट नं० 2

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण

283

2

एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल पांकी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

9/13
15/7/19
3m/2

15/07/19
जिला कानूनगा भू-अर्जन,
पलामू।

15/7/19
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

15/7/19
उपायुक्त,
पलामू।

15/07/19
m/2